भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:2256

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में आपातकालीन प्रवेश

† 2256. श्री मनोज कुमार:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में आयुर्विज्ञान संस्थान (बीएचयू), अस्पताल और ट्रामा सेंटर में प्रशासन द्वारा प्रशासनिक जवाबदेही में गंभीर चूक और संसद सदस्यों को दिए गए सरकारी प्रोटोकॉल की घोर अवहेलना की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि गरीब और जरूरतमंद रोगियों के आपातकालीन चिकित्सा उपचार के लिए संसद सदस्य द्वारा की गई कई तात्कालिक सिफारिशों और अनुरोधों का बीएचयू अस्पताल से कोई उत्तर नहीं मिला है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा जिम्मेदार अस्पताल प्राधिकारियों के विरुद्ध की गई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) संसद सदस्यों के संदर्भों पर कार्रवाई करते समय केन्द्र सरकार के अस्पताल प्रशासनों द्वारा उठाए जाने वाले प्रतिक्रिया समय और शिष्टाचार के संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मौजूदा सरकारी प्रोटोकॉल दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बीएचयू ट्रामा सेंटर में आपातकालीन दाखिले को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वंचित रोगियों को प्रशासनिक विलंब के बिना तत्काल जीवन रक्षक देखभाल मिल सके?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): आयुर्विज्ञान संस्थान (आईएमएस), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से प्राप्त सूचना के अनुसार, ट्रॉमा सेंटर में अत्यावश्यक मामलों और जनता की शिकायतों जिनमें माननीय सांसदों द्वारा भेजे गए मामले भी शामिल हैं, को तेज़ी से निपटाने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रशासनिक व्यवस्था है।

सभी अत्यावश्यक मामलों की समय पर समीक्षा, सही फ़ैसले लेने और आवश्यक कार्रवाई के लिए सुदृढ़ रिपोर्टिंग और तीव्र प्रणाली मौजूद है।

बीएचयू ने सूचित किया है कि आपातकालीन चिकित्सा उपचार के संबंध में माननीय सांसदों या अन्य जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुरोधों और सिफारिशों पर तेज़ी से कार्रवाई की जाती है और जहाँ भी आवश्यक हो, उचित कार्रवाई के लिए संबंधित क्लिनिकल और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया जाता है। ट्रॉमा सेंटर, आईएमएस, बीएचयू में स्थापित प्रशासनिक प्रोटोकॉल है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि माननीय सांसदों से प्राप्त अनुरोधों पर तत्काल और उचित शिष्टाचार के साथ कार्रवाई की जाए। साथ ही, सभी आपातकालीन चिकित्सा मामलों को नैदानिकता तात्कालिकता के आधार पर सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाती है, और मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था त्वरित समन्वय, प्रभावी संचार और संस्थागत तथा सरकारी दिशानिर्देशों के पालन को सुनिश्चित करती है।

इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया गया है कि आपातकालीन चिकित्सा अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देने में प्रशासनिक जवाबदेही के स्तर पर किसी भी तरह की प्रणालीगत त्रुटि की सूचना नहीं मिली है। रोगियों की समय पर परिचर्या, शिकायतों का प्रभावी समाधान और स्थापित संस्थागत नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा और उन्हें सुदृढ़ करने का कार्य जारी है।

ट्रॉमा सेंटर में एक सुदृढ़ रोगी-केंद्रित प्रणाली है, जो यह सुनिश्चित करती है कि रोगी की नैदानिक स्थिति और तात्कालिकता के आधार पर, स्थापित आपातकालीन परिचर्या प्रोटोकॉल के अनुसार, आपातकालीन प्रवेश शीघ्रता से किए जाएं। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय बाधाएं समय पर उपचार में बाधा न बनें, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्स-रे और प्रयोगशाला परीक्षण सहित नि:शुल्क नैदानिक जांच उन पात्र रोगियों को प्रदान की जाती हैं जो इन सेवाओं का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। भर्ती रोगियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार प्रदान किया जाता है, जहां भी यह लागू होता है।
